न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00464

डेरा सच्च सौदा, जरिये सदस्य श्री दर्शन सिंह आत्मज श्री केहर सिंह जाति जट सिक्ख निवासी राम–रहीम आझम, बालिता रोड, थाना कुन्हाडी कोटा हाल कल्याण नगर सिरसा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा) ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मांगीलाल आत्मज स्व0 श्री जगदीश जाति ब्राह्मण ।
2. परमानन्द आत्मज स्व0 श्री जगदीश जाति ब्राह्मण ।
3. रामानन्द आत्मज स्व0 श्री जगदीश जाति ब्राह्मण ।
4. श्याम बिहारी आत्मज स्व0 श्री जगदीश जाति ब्राह्मण ।
5. श्रीमती नाथी बाई पुत्री स्व0 श्री जगदीश जाति ब्राह्मण ।
6. श्रीमती केसर बाई पुत्री स्व0 श्री जगदीश जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. बंसीलाल आत्मज श्री राधाकिशन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. गिर्राज शर्मा आत्मज श्री राधाकिशन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. मोहन सिंह आत्मज श्री विचित्र सिंह जाति जट सिक्ख निवीस राम–रहीम आश्रम, बालिता रोड, कुन्हाडी कोटा ।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2016/00465

मोहन सिंह आत्मज श्री विचित्र सिंह जाति जट सिक्ख निवासी राम–रहीम आश्रम बालिता रोड, कुन्हाडी कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मांगीलाल आत्मज स्व0 श्री जगदीश जाति ब्राह्मण ।
2. परमानन्द आत्मज स्व0 श्री जगदीश जाति ब्राह्मण ।

3. रामानन्द आत्मज स्व0 श्री जगदीश जाति ब्राह्मण ।
4. श्याम बिहारी आत्मज स्व0 श्री जगदीश जाति ब्राह्मण ।
5. श्रीमती नाथी बाई पुत्री स्व0 श्री जगदीश जाति ब्राह्मण ।
6. श्रीमती केसर बाई पुत्री स्व0 श्री जगदीश जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. बंसीलाल आत्मज श्री राधाकिशन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. गिर्राज शर्मा आत्मज श्री राधाकिशन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. मोहन सिंह आत्मज श्री विचित्र सिंह जाति जट सिक्ख निवीस राम–रहीम आश्रम, बालिता रोड, कुन्हाडी कोटा ।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दयानन्द राठौर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 2016/00464 में एवं अपील संख्या 2016/00465 में रेस्पोडेन्ट कम 09 की ओर से ।
2. श्री दीनानाथ गालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 6 की ओर से अपील संख्या 2016/00464 एवं 2016/00465 में ।
3. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 2016/00465 में एवं अपील संख्या 2016/00464 में रेस्पोडेन्ट कम 09 की आरे से ।

निर्णय

दिनांकः 29.09.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय 20.01.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 6 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 एवं 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण के पितामह एंव अप्रार्थी कम 3 व 4 के पिता स्व0 राधाकिशन जी के 03 संताने जगदीश जी, बंशीलाल जी एवं गिर्राज शर्मा थे । श्री जगदीश जी का स्वर्गवास हो चुका है तथा जगदीश जी की पत्नी श्रीमती चन्द्रकला जो प्रार्थीगण की माता थी उनका भी स्वर्गवास हो चुका है । जगदीश जी के प्रार्थीगण वारिसान है । स्व0 जगदीश जी व अप्रार्थी कम 3 व 4 के संयुक्त खाते व कब्जे की आराजी ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा में लगभग 55 बीघा 05 बिस्वा स्थित थी । उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 134 की रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा स्थित थी । स्व0 जगदीश, बंशीलाल एवं गिर्राज जी ने संयुक्त रूप से उक्त आराजी खसरा नम्बर 134 रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा मं से 04 बीघा आराजी जो खसरा नम्बर 71 व 62/678 तथा खसरा नम्बर 62/827 तथा खसरा नम्बर 70 के बिल्कुल अडवा थी का बेचान श्रीमती शीतल कौर पत्नी श्री बचनसिंह जाति जटसिक्ख निवासी ग्राम बालिता को दिनांक 15.07.1981 को कर दिया गया था और मात्र 04 बीघा भूमि का ही कब्जा उसको संभला दिया था । श्रीमती शीतल कौर द्वारा उक्त आराजी का बेचान श्री मोहनसिंह अप्रार्थी कम 01 को कर दिया गया । श्रीमती शीतल कौर ने जो आराजी प्रार्थीगण से कय की थी उस सीमा तक ही उसे बेचने का अधिकार था उससे अधिक बेचान करने का अधिकार नहीं था । शेष आराजी पर स्व0 जगदीश जी व अप्रार्थी कम 3 व 4 संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे हैं । अप्रार्थी कम 01 ने बदयान्तिपूर्वक आराजीयात कय के पश्चात् आराजी का जो नया खसरा नम्बर 196 बनाया गया उसका रकबा सेटलमेंट विभाग से षडयंत्र कर बिना किसी अधिकार के 0.64 हैक्टर के स्थान पर 0.96 हैक्टर दर्ज करवा लिया । अप्रार्थी कम 01 द्वारा अपने खाते में खसरा नम्बर 196 रकबा 0.96 हैक्टर गलत रूप से अंकित करवा कर उसका जरिये पंजीबद्ध दानपत्र द्वारा डेरा सच्चा सौदा अप्रार्थी कम 02 के नाम करा दिया, जबकि उक्त आराजी में से 02 बीघा आराजी पर प्रार्थीगण ही काश्तकारी करते चले आ रहे हैं। परन्तु अप्रार्थी कम 02 उक्त भूमि पर काश्त करने से रोक दिया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

4. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खाते की 0.32 हैक्टर आराजी जो उनकी बनती है उसे कहीं बेचान, अन्तरित या अन्य किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

5. अप्रार्थी कम 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

6. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20.01.2016 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

7. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2016 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 1 मोहन सिंह एवं अप्रार्थी कम 2 ने न्यायालय हाजा में दोनों अपीलें कमशः अपील संख्या

2016/00 464 एवं अपील संख्या 2016/00465 प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2016 निरस्त करने का कथन किया ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. दोनों अपीलों में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 6 ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 07 लगायत 10 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था । उक्त वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार कर अपीलान्ट को ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी को बेचान, अन्तरित या अन्य किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करने बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया । रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 6 द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात व किये गये अभिवचनों से यह स्पष्ट था कि खसरा नम्बर 134 में रकबा 0.13 हैक्टर भूमि ही कम हुई है । अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 09 के पक्ष में वादग्रस्त आराजी का दानपत्र विधिवत तहरीर कर दिये जाने के पश्चात् से रेस्पोडेन्ट कम 09 बहैसियत एकमात्र खातेदार एवं दानग्रहिता दान की गई कृषि आराजीयात पर कई वर्षों से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा उसके पूर्व वक्त कय से अपीलान्ट उक्त भूमि पर बहैसियत रजिस्टर्ड केता काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । उसके पूर्व श्रीमती शीतल कौर जिनके द्वारा वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट को विकय की गई थी उसका निरनतर शान्तिपूर्वक कब्जा था । इस प्रकार पिछले 20 वर्षो से भी अधिक अवधि से श्रीमती शीतल कौर तत्पश्चात् अपीलान्ट मोहन सिंह एवं उसके पश्चात् से वक्त दान से ही रेस्पोडेन्ट कम 09 उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा एक लम्बी अवधि से वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 6 का उक्त भूमि पर न तो कब्जा था और न ही उन्हें उक्त भूमि पर स्वामित्व प्राप्त था और न ही वे उक्त भूमि के खातेदार थे । इस प्रकार उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 6 का कोई सम्बन्ध नहीं था । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्पीकिंग आदेश की तारीफ में नहीं आता है । हम रिकॉर्डेड खातेदार हैं तथा रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2016 निरस्त फरमाया जावे । अपील संख्या 2016/00464 में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने फर्द के साथ कुछ राजस्व रिकॉर्ड पेश किया । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2000 पेज 300, आरआरटी 2015 (1) पेज 633, एआईआर 1963 (एससी) पेज 1879, आरआरटी 2013 (1) पेज 133, आरएलडब्ल्यू 2010 (3) पेज 2521, डब्ल्यूएलएन 1988 पेज 138, आरआरडी 1998 पेज 79 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 6 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता जगदीश एवं अप्रार्थी कम 3 व 4 के संयुक्त खाते में अन्य खसरा नम्बरान के साथ खसरा नम्बर 134 की 17 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित थी । रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 15.07.

1981 के अनुसार प्रार्स्थीगण के पिता जगदीश एवं अप्रार्थी कम 3व 4 द्वारा संयुक्त रूप से उक्त भूमि में से 04 बीघा भूमि खसरा नम्बर 71 व 62/678 तथा खसरा नम्बर 62/827 तथा खसरा नम्बर 70 के बिल्कुल अडवा थी का बेचान श्रीमती शीतल कौर को किया गया था और कब्जा भी 04 बीघा भूमि का ही सौंपा गया था । उक्त विकय पत्र अनुसार 04 बीघा का हैक्टर 0.64 भूमि ही शीतल कौर के खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए था । शीतल कौर द्वारा उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थी कम 01 मोहनलाल को कर दिया । वर्तमान में दानपत्र से अप्रार्थी कम 02 के नाम 0.64 हैक्टर के स्थान पर 0.96 हैक्टर भूमि दर्ज कर दी गई । श्रीमती शीतल कौर के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र में खसरा नम्बर 134 की रकबा 04 बीघा का ही बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया गया है । इस प्रकार अपीलान्टगण का 0.32 हैक्टर अधिक भूमि पर कब्जा किया हुआ है। प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2016 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2024–2027 ग्राम बालिता के अनुसार कुल किता 06 कुल रकबा 55 बीघा 05 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट कम संख्या 01 से 9 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें से खसरा नम्बर 134 की कुल रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा भूमि में से 04 बीघा भूमि का बेचान उक्त खातेदारान द्वारा पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 12.08.1981 से शीतल कौर पत्नी बच्चन सिंह को किया गया । तत्पश्चात् शीतल कौर द्वारा उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट कम संख्या 09 मोहन सिंह को जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 06.03.1999 से बेचान किया गया । भू–प्रबन्ध विभाग की मिसल संख्या 87/84 में सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.1984 के अनुसार विकय पत्र में समझाई गई दिशाओं के अनुसार शीतल कौर पत्नी बच्चन सिंह के खाते की उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 134 के नवीन खसरा नम्बर 196 का रकबा 0.96 दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी गई है ।

12. मोहन सिंह द्वारा खसरा नम्बर 196 की रकबा 0.96 हैक्टर भूमि पंजीकृत दानपत्र दिनांक 09.04.2012 से रजिस्टर्ड ट्रस्ट डेरा सच्च सौदा को दान कर दी गई । परीक्षण न्यायालय के मुकदमा संख्या 77/81 जगदीश, बंशीलाल, गिर्राज में विभाजन डिक्री के सम्बन्ध में पत्रावली में उपलब्ध पटवारी की रिपोर्ट की फोटो प्रति दिनांक 30.04.2012 से प्रतीत होता है कि विभाजन डिक्री में केवल खसरा नम्बर का बंटवारा हुआ है, किसके हिस्से में कौनसी भूमि रहेगी यह नहीं दर्शाया गया है, जिससे तरमीम किया जाना संभव नहीं होना अंकित किया है । पंजीकृत विकय पत्र में रेस्पोडेन्ट के परिजनों (तत्कालीन खातेदारान) द्वारा शीतल कौर को खसरा नम्बर 134 की केवल 04 बीघा भूमि का ही बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया गया है । सहायक भू–प्रबन्ध अधिकार का निर्णय दिनांक 14.03.1984 की स्थिति व अन्य पक्षकारों में किस प्रकार से भूमि कम हुई है तथा किस पक्षकार की भूमि कहॉ है, यह सब स्थितियॉ मूल वाद के निर्णय में स्पष्ट हो सकेगी। हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । परीक्षण न्यायालय ने प्रथमदृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दु

जो कि रेस्पोडेन्ट कम संख्या 1 लगायत 6 के पक्ष में पाये हैं, जिससे हम सहमत हैं । जहॉ तक पक्षकारान के स्वत्व, अधिकारों एवं मौके की स्थिति का प्रश्न है, इनका निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होगा, अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की स्टेज पर नहीं । पक्षकारान के मध्य जो विवाद है वह तो साक्ष्य आदि के पश्चात् तय होंगे तब तक परीक्षण न्यायालय के निर्णयानुसार अपीलान्ट/अप्रार्थीगण जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित रहेगा ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2016/00464 एवं अपील संख्या 2016/00465 खारिज की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2016 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा